न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 48/2020

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. बलविन्द्र कौर पत्नी मलकीत सिंह पुत्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच हाल निवासी चक 16 बी बी तहसील पदमपुर।	1. गुरबक्श सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. पलविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. सुखजीत कौर उर्फ सलिन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह पुत्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एल एस एम तहसील अनूपगढ(मतृक) 3/1.गुरप्रीत सिंह पुत्र सुखजीत कौर उर्फ सलिन्द्र कौर जाति जटसिख निवासी बाण्डा कॉलोनी तहसील रायसिंहनगर हाल आबाद बंगी तहसील साबू तलवंडी जिला बठिण्डा। 3/2.मनदीप कौर पुत्री सुखजीत कौर उर्फ सलिन्द्र कौर जाति जटसिख निवासी बाण्डा कॉलोनी तहसील रायसिंहनगर हाल आबाद बंगी तहसील साबू तलवंडी जिला बठिण्डा। 3/3. मनजीत कौर पुत्री सुखजीत कौर उर्फ सलिन्द्र कौर जाति जटसिख निवासी बाण्डा कॉलोनी तहसील रायसिंहनगर हाल आबाद बंगी तहसील साबू तलवंडी जिला बठिण्डा। [illegible] राजस्थान जरिए तह[illegible]र श्रीकरणपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 21.08.2020

उपस्थितः 1.श्री सतवीर कुमार अधिवक्ता प्रार्थिया
2.श्री दलजीत सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3.श्री मनीष कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 3/3

--निर्णय--

दिनांकः 31/08/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 30 एच के मुरब्बा नम्बर नया 17 पुराना 9 एंव मुरब्बा नम्बर नया 14 पुराना 20 में

बलविन्द्र कौर बनाम गुरबक्श सिंह आदि
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 48/2020

कुल 23 बीघा 13 बिस्वा नहरी भूमि प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 3 (1)(2) (3) के नाना रणजीत सिंह पुत्र जयसिंह जाति जटसिख निवासी चक 30 एच के नाम दर्ज राजस्व है। जो उन्हें अपने पिता जयसिंह से विरासतन प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि जद्दी जायदाद भूमि है। जो कि मृतक रणजीत सिंह को अपने पिता जयसिंह को विरास्तन प्राप्त हुई थी। रणजीत सिंह की मृत्यू होने के पश्चात उपर्युक्त वर्णित आराजी भूमि जद्दी जायदाद की भूमि होने के कारण प्रार्थिया एंव अप्रार्थीगण के बराबर 1/4 के हिस्सेदार है। प्रार्थिया ने अपने पिता रणजीत सिंह की मृत्यू के पश्चात कई बार अप्रार्थीगण को कहा कि उपुर्यक्त वर्णित आराजी का विरास्तन इन्तकाल वारिसनामा के आधार पर करवा लेवें, लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थिया की कोई सुनवाई नहीं कर रहे है। तथा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए टालमटोल कर रहे है। आज से 10 रोज पूर्व प्रार्थिया ने चक 30 एच आकर अप्रार्थीगण को उपर्युक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने को कहा, लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया को उसका हिस्सा देने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि हम तो फर्जी दस्तावेज करवाकर उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लेगें। जब प्रार्थिया ने पता किया तो उसे ज्ञान हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 ने फर्जी वसीयत तैयार करवाकर वसीयतन इन्तकाल हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीकरणपुर के यहा पेश किया हुआ है। यही वाद कारण है। यदि अप्रार्थीगण फर्जी दस्तावेज के आधार पर वर्णित भूमि का विरास्तन इन्तकाल करवा लेते है तो प्रार्थिया को अपने हक व हिस्सा से महरूम होना पडेगा और प्रार्थिया को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थिया अप्रार्थीगण को उक्त भूमि को खुर्द बूर्द करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोक पाने के अधिकारी है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थिया के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि चक 30 एच के खाता संख्या 57/55 के मुरब्बा नम्बर 17, 20 में कुल 23 बीघा 13 बिस्वा नहरी मय खाला मय रास्ता भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वह भी प्रार्थिया को दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार यह कथन गलत है कि उक्त भूमि रणजीत सिंह को विरास्तन प्राप्त हुई हो, बल्कि उपर्युक्त भूमि रणजीत सिंह की स्वअर्जित भूमि है। यह कथन भी गलत है कि उपर्युक्त भूमि जद्दी जायदाद हो। प्रार्थिया व अप्रार्थीगण उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हो। क्योंकि उक्त भूमि रणजीत सिंह की स्वअर्जित भूमि है। रणजीत सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 23.08.2002 को एक घरू बंटवारा करके चक 30 एच के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 का कब्जा मुझ अप्रार्थी को दे दिया था तथा बंटवारानामा में यह भी तय हुआ कि मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 16, 23, 24, 25 [illegible] रणजीत सिंह जिन्दा रहेगा, रणजीत सिंह के पास रहेगी और रणजीत सिंह की मृत्यू [illegible] किला नम्बर 16, 23, 24, 25 गुरबक्श सिंह को प्राप्त होगें। रणजीत सिंह की मृत्यु हो [illegible] है, बंटवारानुसार गुरबक्श सिंह को रणजीत सिंह के उक्त किला नम्बर 16, 23, 24, 25 की भूमि प्राप्त हो चुकी है। उक्त भूमि रणजीत सिंह के नाम होने के कारण रणजीत सिंह ने गुर[illegible] सिंह का हक व हिस्सा पूरा करने के लिए दिनांक 06.08.2019 को उक्त भूमि की एक वसीयत गुरबक्श सिंह एवं पलविन्द्र सिंह के नाम से निष्पादित करवायी है, जिसमें रणजीत सिंह द्वारा दर्ज करवाया गया कि मेरे नाम चक 30 एच के मुरब्बा नम्बर 17 व 20 की कुल 23 बीघा 13 बिस्वा भूमि कुल 5.983 हैक्टर कमाण्ड भूमि है। मै उक्त भूमि अपने हकीकी पुत्रों गुरबक्श सिंह व पलविन्द्र सिंह को बहिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:33:11 IST
Reason: SelfAttested

31/03/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

बराबर वसीयत करता हूं। तथा यह भी दर्ज करवाया कि उक्त सम्पति बाबत मेरा कोई वारिस दावा या झगडा करेगा तो वह सरासर झूठा माना जावेगा। इस प्रकार उक्त वसीयत की रूह से अप्रार्थी गुरबक्श सिंह 2.992 हैक्टर भूमि का मालिक एवं खातेदार हो चुका है। उक्त भूमि 2.992 हैक्टर भूमि पर अप्रार्थी आज तक लगातार, शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। उक्त वसीयत प्रकरण में अन्तिम कार्यवाही चल रही है, लेकिन प्रार्थिया ने जान बुझकर उक्त वसीयत प्रकरण की कार्यवाही रोकने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थिया ने अन्य प्रार्थीगण से मिलीभगत करके उक्त दावा व प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3/3 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त भूमि जद्दी जायदाद होने के कारण वादिया व प्रतिवादीगण को उक्त भूमि में से 1/4-1/4 हिस्सा का खातेदार मालिक घोषित किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। उस पर मनन किया, गौर किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण एंव संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन कर हम प्रकरण को निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर निर्णीत करना विधिसंगत समझते है:-

<u>1.प्रथम दृष्टया मामला</u>:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वादग्रस्त आराजी उसके पिता रणजीत सिंह को विरास्तन प्राप्त हुई। जिससे उक्त आराजी प्रार्थिया तथा अप्रार्थीगण की जद्दी जायदाद आराजी है। प्रार्थिया द्वारा हाजा न्यायालय में दावा बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ है। प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किये गये है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने फर्जी वसीयत तैयार करके उक्त आराजी का वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज कराने हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर के यहां प्रार्थना पेश किया हुआ है। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 गुरबक्श सिंह ने कथन किये कि उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी रणजीत सिंह की स्वअर्जित भूमि है, तथा रणजीत सिंह ने अपने जीवनकाल में 05.08.2019 को वादग्रस्त आराजी की अपने पुत्रों गुरबक्श एंव पलविन्द्र सिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर वसीयत की गई। वसीयत की अप्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के जवाब में पेश की। अप्रार्थी संख्या 2 पलविन्द्र सिंह द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मेरे पिता रणजीत सिंह को जयसिंह (दादा) से विरास्तन प्राप्त हुई है एवं वादग्रस्त आराजी प्रार्थिया एंव अप्रार्थीगण की जद्दी जायदाद भूमि है, तथा प्रार्थिया एंव अप्रार्थीगण 1 तथा 3 के साथ-साथ अप्रार्थी संख्या 2 भी बराबर के 1/4 हिस्से का हकदार है। जवाब प्रार्थन पत्र में अप्रार्थी संख्या 3/1 ता 3/3 द्वारा भी कथन किये गये [illegible] आराजी रणजीत सिंह को अपने पिता जय सिंह से विरास्तन प्राप्त हुई थी [illegible] जद्दी जायदाद होने से अप्रार्थी संख्या 3/1 ता 3/3 भी अपने नाना रणजीत सिंह के नाम [illegible] दर्ज भूमि के 1/4 हिस्से के हकदार है। प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पक्ष में जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 पेश की। उपर्युक्त जमाबन्दी की प्रतिलिपि का अध्ययन किया [illegible]ाम-30 एच के खाता संख्या 57 की कुल 11.927 हैक्टर आराजी में से 5.984 हैक्टर आराजी प्रार्थिया के पिता रणजीत सिंह पुत्र जयसिंह के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रार्थिया ने प्रार्थना में तो यह कथन किये है कि उक्त आराजी पैतृक-पुश्तैनी है। लेकिन उसके समर्थन में प्रार्थिया द्वारा केवल वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 ही पेश की है। केवल वर्तमान जमाबन्दी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:11 IST
Reason: SelfAttested

31/03/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

आधार पर प्रथम दृष्टया यह नही माना जा सकता कि वादग्रस्त आराजी जद्दी जायदाद है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिसे देखकर यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी पैतृक-पुश्तैनी है। लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला को प्रार्थिया अपने पक्ष में करने में असफल रही है।

2.सुविधा का संतुलनः- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी । चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रार्थिया प्रथम दृष्टया मामला को सिद्व करने में असफल रही है साथ ही प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में केवल मात्र यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक-पुश्तैनी है, तथा सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित है। प्रार्थिया द्वारा यह नहीं बताया गया कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में किस-प्रकार से निहित है। तथा इस हेतु वादग्रस्त आराजी के पैतृक-पुश्तैनी का कोई दस्तावेज भी प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में हो। लिहाजा प्रार्थिया सुविधा के संतुलन को अपने पक्ष में करने में असफल रही है।

3.अपूरणीय क्षतिः- चूंकि पूर्व विवेचित दोनो बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों को प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में पैतृक-पुश्तैनी होने का कोई दस्तावेज प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपूरणीय क्षति के बिन्दू को भी प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असंफल रहा है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र को अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थिया/वादिया अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

31/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:11 IST
Reason: SelfAttested

31/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)